

16

शांति स्थापना और सशस्त्र सेनाएँ

टिप्पणी



पिछले माइक्रो में हमने युद्ध के अपारंपरिक तरीकों और विनाश के हथियारों के बारे में पढ़ा। भारतीय सशस्त्र सेनाएँ देश की बाहरी खतरों से रक्षा करने की नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त अनेक अन्य कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे शांति स्थापना, मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा स्थानीय सरकार को आंतरिक मामलों में सहायता प्रदान करना।

शांति स्थापना का अभिप्राय ऐसी स्थितियाँ निर्मित करने से हैं जो युद्ध से पीड़ित देश में स्थायी शांति स्थापना करने में मदद करें। शांति स्थापना के प्रयास नए संघर्ष के खतरे को रोकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध है। शांति स्थापना करने वाले संघर्ष झेलने वाले क्षेत्रों में शांति स्थापना की प्रक्रिया को देखते और परखते हैं। वे युद्ध लड़ चुके देशों के बीच उनके द्वारा किए गए शांति समझौतों को लागू करवाने में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार की सहायता अनेक रूपों में हो सकती है, जैसे-कानून के शासन को मज़बूत करना, आर्थिक और सामाजिक विकास। भारत, संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में अपनी सेना की सबसे अधिक टुकड़ियाँ भेजने वाला देश है।



उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप-

- शांति स्थापना तथा शांति स्थापना के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे;
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के चार्टर को समझ सकेंगे;
- शान्ति स्थापना के सिद्धांतों की व्याख्या कर सकेंगे;
- संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत की सशस्त्र सेना के योगदान का वर्णन कर सकेंगे।

16.1 शांति स्थापना कार्वाईयों की परिभाषा

शांति स्थापना का अभिप्राय ऐसे स्थितियाँ निर्मित करने से हैं जो स्थायी शांति स्थापित करने में सहायक हों। शोध से ज्ञात हुआ है कि शांति स्थापना से नागरिकों और युद्ध क्षेत्र में मौतें कम होती हैं और दोबारा युद्ध होने के खतरे कम होते हैं। शांति स्थापना की कार्वाईयों को 'किसी



संगठन द्वारा विकसित एक ऐसे अनूठे और गतिशील यन्त्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संघर्ष से पीड़ित देशों में स्थायी शान्ति स्थापित करने की स्थितियां निर्मित करते हों।

इसको शांति निर्माण, शान्ति स्थापना और शान्ति को लागू करने से अलग देखा जाता है परन्तु संयुक्त राष्ट्र इन सब गतिविधियों को परस्पर बल प्रदान करने वाली तथा एक दूसरे से मेल खाने वाली गतिविधि के रूप में जाना जाता है।

16.1.1 शांति स्थापना कार्यवाईयों के प्रकार

शांति स्थापना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कार्यवाईयाँ आती हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयास संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के चैप्टर V और चैप्टर VII से संचालित होते हैं। चैप्टर VI के मिशन सहमति पर आधारित होते हैं इसलिए उन्हें युद्ध में शामिल गुटों की सहमति चाहिए होती है। यदि उनकी सहमति समाप्त हो जाए तो शांति स्थापना करने वालों को पीछे हटना होगा।

चैप्टर VII के मिशनों को किसी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती यद्यपि यह हो सकती है। यदि किसी स्थिति में सहमति समाप्त हो जाती है तो शांति स्थापित करने वालों को पीछे नहीं हटना होगा। चैप्टर VII के मिशन शांति लागू करने के मिशन होते हैं।

शांति लागू करना

शांति लागू करने का अर्थ लड़ने वालों के बीच सहमति अथवा बिना सहमति के संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा करवाए गए युद्ध विराम अथवा संधि को सुनिश्चित करना है। मूलतः इसको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के चैप्टर VII के अंतर्गत किया जाता है और प्रायः लागू करने वाली सेना के पास अन्यथा आम तौर पर नियुक्त निरीक्षकों के तुलना में बड़े हथियार होते हैं।

शांति निर्माण

शांति स्थापना का लक्ष्य युद्ध लड़ने वालों को अपने बीच मतभेदों को मध्यस्थिता और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के चैप्टर VI में दिए गए वार्ता के अन्य प्रकारों के माध्यम से दूर करने शांतिपूर्ण हल निकालना होता है।

शांति स्थापना

शांति स्थापना विभिन्न पक्षों के बीच विश्वास निर्मित करने तथा युद्धरत देशों के बीच हुए समझौते पर निगाह रखने के लिए कम हथियार वाली सेना को तैनात करने को कहते हैं। इसके साथ ही राजनयिक व्यापक और स्थायी शांति के लिए अथवा सहमति के आधार पर हुए शांति समझौते को लागू करने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं।

16.1.2. युद्ध के बाद पुनर्निर्माण

युद्धकर्ताओं के बीच संवधानों को सुधारने के लिए युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग को विकसित करना होता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे



पाठगत प्रश्न

16.1

1. शांति स्थापना को परिभाषित कीजिए।
2. युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण का क्या अर्थ है?
3. रिक्त स्थान भरिए-
 - (i) को उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग को विकसित करना है।
 - (ii) शांति लागू करने वाली सेनाएँ प्रायः बार-बार तैनात किए जाने वाले निरीक्षकों के विपरीत से लैस होती हैं।
 - (iii) शांति सेना को और लागू करवाले के लिए तैनात किया जाता है।



टिप्पणी

16.2 संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना चार्टर

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 26 जून 1945 को सानफ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे जो संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यों के लिए आधारभूत प्रपत्र है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषका से बचाने के लिए की गई थी और इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। यद्यपि इसे चैप्टर में शांति स्थापना का व्यापक प्रावधान नहीं दिया गया परंतु यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति स्थापना के यंत्र में उभर कर आया है।

चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेवारी देता है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद कई उपायों को अपना सकती है, जिसमें शांति स्थापना की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इन कार्रवाइयों की कानूनी शक्ति चैप्टर VI, VII, VIII में पाई जाती है। चैप्टर VI का संबंध विवादों के शांतिपूर्ण निपटारों से है वहीं चैप्टर VII में शांति, शांति भंग होने तथा आक्रमण की कार्रवाइयों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

चार्टर के चैप्टर VIII में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में क्षेत्रीय प्रबंधों तथा एजेंसियों को शामिल करने का प्रावधान भी है। पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्रवाइयों को चैप्टर VI में जोड़ा जाता है।

विगत वर्षों में सुरक्षा परिषद ने चैप्टर VII को ही अपनाया है जब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को किस ऐसे क्षेत्र में तैनात करना होता है जहां राज्य स्वयं शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ होता है। सुरक्षा परिषद द्वारा ऐसी परिस्थितियों में चैप्टर VII का प्रयोग परिषद द्वारा की गई कार्रवाई को कानूनी आधार प्रदान करता है और इसको दृढ़ राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।



16.3 शांति स्थापना के सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों को परिभाषित करने के तीन आधार भूत सिद्धांत हैं। यह तीनों सिद्धांत परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बल देते हैं।

(a) **पक्षों के बीच सहमति :** संघर्ष से जुड़े मुख्य पक्षों के बीच सहमति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्रवाइयों को चलाया जाता है। इसमें दोनों पक्षों की किसी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। शान्ति स्थापना की कार्रवाई के प्रति उनकी स्वीकृति से संयुक्त राष्ट्र को दिए गए कार्य को करने में राजनीतिक और भौतिक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

मुख्य पक्षों द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति की कार्रवाईयों को करने के प्रति स्वीकृति देने से जरूरी नहीं हैं कि स्थानीय स्तर पर आंतरिक भेदों/संघर्षों के कारण उसको स्थानीय स्तर पर भी स्वीकृति प्राप्त हो।

(b) **निष्पक्षता :** मुख्य पक्षों के बीच सहमति और सहयोग बनाए रखने के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है और निष्पक्षता को उदासीनता अथवा तटस्थता के अर्थ के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

किसी मिशन को गलत विवेचना अथवा बदले की भावना के रूप में लिए जाने के डर से निष्पक्षता के सिद्धांत को कठोरता से लागू करने से नहीं घबराना चाहिए। ऐसा न कर पाने से शांति स्थापना की कार्रवाइयों की वैधता और विश्वसनीयता को नुकसान होगा। इससे कोई एक अथवा अधिक पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।

(c) **आत्मरक्षा और निर्णय की रक्षा में अतिरिक्त बल का प्रयोग न करना।** संयुक्त राष्ट्र की ध्वनि स्थापना की कार्रवाइयाँ बल प्रयोग करने का साधन नहीं हैं। यद्यपि ऐसे कार्रवाइयों में युक्तिपरक ढंग से सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किए जाने पर आत्म रक्षा और निर्णय की रक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना की कार्रवाई से जुड़े लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया को बलात भंग करने वालों के विरुद्ध, शारीरिक आक्रमण के खतरे से घिरे लोगों की रक्षा के लिए तथा राष्ट्रीय अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देने के लिए बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्रवाइयों में बल को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसको सदैव, संक्षिप्त, अनुपातिक और समुचित तरीके से वांछित प्रभाव हेतु 'बल के न्यूनतम प्रयोग' के सिद्धांत अनुसार ही उपयुक्त ढंग से प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग किए जाने वाले बल की मात्रा को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों में मिशन की क्षमता, लोगों की सोच, मानवीय प्रभाव, बचाव और लोगों की सुरक्षा तथा ऐसी कार्रवाई के राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रभावों को शामिल किया जाता है।



पाठगत प्रश्न

16.2

1. रिक्त स्थान भरिए-

- (a) संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्रवाइयों को कानूनी आधार चार्टर के अध्ययन तथा अध्याय में पाया जाता है।
- (b) संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के सिद्धांतों और शामिल हैं।
- (c) संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के तीन सिद्धांतों में और शामिल हैं।

2. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कहाँ और कब हस्ताक्षर किए गए?

3. संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में प्रयोग किए जाने वाले बल की मात्रा को निर्धारित करने वाले किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख कीजिए।



टिप्पणी

16.4 संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारतीय सशस्त्र सेनाएँ

29 फरवरी 2016 को सुयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में लगे कुल 1,05,314 लोगों में सबसे अधिक संख्या इथोपिया के लोगों की (8324) थी, जिसके बाद भारत के 7695 और बंगलादेश के 7525 लोग थे। आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 43 शांति मिशनों में भाग लिया है और 1,80,000 से अधिक सैनिकों का सहयोग दिया है। भारतीय शांति सेनाओं की संयुक्त राष्ट्र तथा मेजबान देशों ने देशों के पुनर्निर्माण में किए गए प्रयासों तथा सहयोग के किए प्रशंसा की है। शांति स्थापना के कार्य में भारतीय सेना की तैनाती पहली बार 1950 में कोरिया में की गई थी।

16.4.1 वर्तमान तैनातियाँ

भारतीय सशस्त्र सेनाएँ वर्तमान में निम्नलिखित शांति मिशनों में कार्य कर रही हैं-

- (a) **लेबनान (UNIFIL)** : दिसंबर 1998 से पैदल सेना की एक बटालियन, लेवल II अस्पताल में सभी टैंक के 650 शांति स्थापक तथा 23 स्टाफ आफिसर्स कार्य कर रहे हैं। मिशन में वर्तमान स्थिति सीरिया में संकट के कारण तनावमुक्त और विस्फोटक हैं।
- (b) **कांगो (MONUSCO)** : जनवरी 2005 से चैप्टर टप्प के विस्तार से सपर्मित भारतीय पैदल सेना का ब्रिगेड समूह (पैदल सेना की चार बटालियन तथा लेवल III अस्पताल), सेना विमानन ट्रुकड़ी (अनेक सैन्य पर्यवेक्षकों तथा हेलीकॉप्टर्स के साथ) कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही दो पुलिस युनिट्स (FPU) तथा सीमा सुरक्षा बल एवं इंडो तिब्बत बार्डर पुलिस के जवान भी 2009 से तैनात हैं। MONUSCO's पर किए गए निर्णय (प्रस्ताव 2098 (2013) को लागू कर दिया गया है जिसमें AU द्वारा इंटरवेंशन ब्रिगेड प्रदान किया गया है जिसके संयुक्त राष्ट्र की कमांड के अंतर्गत तैनात किया गया है।
- (c) **सूडान और दक्षिणी सूडान (UNMIS/UNMISS)** : अप्रैल 2005 से उस मिशन में दो पैदल सेना के बटालियन समूह, सेक्टर हैड क्वार्टर, इंजिनियर कंपनी, सिग्नल कंपनी, लेवल II अस्पताल तथा अनेक सैन्य पर्यवेक्षक तथा स्टाफ आफिसर्स को तैनात कर रखा



है। इस मिशन की नवीनतम राजनीतिक घटना वहाँ के जनजातीय कबीलों में बड़े स्तर फैली हिंसा और स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर हुआ विस्थापन है। राज्य के अंदर हुए संघर्ष में भारतीय शांति सेना के दो जवानों की जान नागरिकों की सुरक्षा करते हुए चली गई। वर्तमान स्थिति बहुत ही अस्थिर और अनिश्चित है।

- (d) **गोलान हाईट्स (UNDOF) :** फरवरी 2006 से न्हकव्व के साजो-सामान की सुरक्षा की देखभाल में लोजिस्टिक्स बटालियन के 190 जवान तैनात हैं। सीरिया की सेना तथा संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के बीच गोलीबारी से शांति स्थापकों को खतरा बढ़ गया है।
- (e) **आयवरी कोस्ट (UNOCI) :** इस कोस्ट के 2004 में अस्तित्व में आते ही मिशन को भारतीय स्टाफ आफिसर्स और सैन्य पर्यवेक्षकों की सहायता प्राप्त है।
- (f) **हैती (MINUSTAH) :** तीन भारतीय फोर्म्ड पुलिस युनिट्स जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और आसाम राईफल्स से अलग इस मिशन को भारतीय सेना स्टाफ आफिसर्स की सहायता दिसंबर 1987 से प्राप्त है।
- (g) **लिबेरिया (UNMIL) :** अप्रैल 2007 से सी.आर.पी.एफ. और रैपिड एक्शन फोर्स के निर्मित फोर्म्ड पुलिस यूनिट्स की पुरुष और महिला युनिट्स लिबेरिया में अपना योगदान दे रही हैं। महिला पुलिस युनिट मेजबान देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है तथा पूरे विश्व में इस प्रकार की महिला फोर्म्ड पुलिस युनिट्स के लिए आदर्श बन चुकी हैं।



पाठगत प्रश्न

16.3

1. रिक्त स्थान भरिए-
 - (a) भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों में भाग लिया है।
 - (b) भारतीयों का संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में पहली तैनाती वर्ष में हुई थी।
2. संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित मिशन किन राज्यों में कार्य कर रहे हैं? उन देशों के नाम लिखिए।
 - (a) UNIFIL
 - (b) UNDOF
 - (c) MONUSCO
 - (d) UNOCI
 - (e) UNMIL



क्रियाकलाप 16.1

निम्नलिखित वृत्त चित्र दिए गए लिंक पर देखिए-

“स्पेशल प्रोग्राम-शांति के सैनिक, इंडियास कंट्रीब्यूशन टू पीस कीपिंग आपरेशन्स”

<https://www.youtube.com/watch?v=WpltI5UTc44>



क्रियाकलाप 16.2

निम्नलिखित वृत्त चित्र दिए गए लिंक पर देखिए-

"Blue Helmets in Congo : Indian peacemakers tackle multiple hurdles"

<https://www.youtube.com/watch?v=J3w4DsCi9xU>



टिप्पणी



आपने क्या सीखा

- इस अध्याय में आपने पढ़ा के शांति स्थापना की गतिविधियाँ स्थायी शांति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं जिन्हें शांति स्थापना की कार्रवाइयों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- इन कार्रवाइयों का लक्ष्य शांति लागू करना, शांति निर्माण और शांति स्थापना है।
- शांति स्थापना की गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार चलाया जाता है जिन्हें चार्टर में 8 चैप्टरों में बाँटा गया है।
- शांति स्थापना की सभी कार्रवाइयाँ तीन सिद्धांतों पर आधारित हैं- (i) पक्षों की सहमति (ii) निष्पक्षता (iii) निर्णय की रक्षा तथा आत्मरक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग न करना। आपको संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना कार्रवाइयों में भारत के सहयोग के बारे में भी जानकारी मिली है।



पाठान्त्र प्रश्न

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के तीन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारतीय योगदान को दर्शाने के लिए किन्हीं कार्रवाइयों का वर्णन कीजिए।
- शांति निर्माण, शांति स्थापना और शांति लागू करने के बीच के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

- शांति स्थापना का संबंध स्थायी शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों से है।
- संघर्ष उपरांत पुनर्निर्माण का लक्ष्य संघर्षरत देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए आर्थिक और सामाजिक सहयोग को विकसित करना होता है।
- (i) संघर्ष (युद्ध) उपरांत पुनर्निर्माण
(ii) शांति लागू करना
(iii) विश्वास निर्मित करना और देखभाल करते रहना



16.2

1. (a) चैप्टर VI, VII और VIII
(b) परस्पर जुड़े हुए और एक दूसरे को बल देने वाले
(c) पक्षों की सहमति, निष्पक्षता, निर्णय एवं आत्म रक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग न करना
2. 26 जून 1945 को सानफ्रांसिसको में
3. (i) मिशन की क्षमता
(ii) लोगों की सोच
(iii) मानवीय प्रभाव
(iv) बलों की रक्षा
(v) सैनिकों की रक्षा और सुरक्षा
(vi) कार्रवाई का प्रभाव

16.3

1. (a) 43
(b) कोरिया
2. (a) लेबनान
(b) गोलान हाईट्स
(c) कांगो
(d) आयवेरी कोस्ट
(e) लिबेरिया